

(144)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BW 915046

शपथ पत्र

मैं शशांक भार्गव पुत्र स्व. श्री श्रीकृष्ण भार्गव निवासी सिविल लाईन विदिशा (म.प्र.) सत्य पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि:-

1. मैं विदिशा विधानसभा क्षेत्र के नगर विदिशा के वार्ड क्रं. 28 का मतदाता हूँ।
2. मतदाता सूची में मेरा भाग क्रं. 213 एवं मतदाता सूची क्रं. 62 पर अंकित है।
3. यह कि पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार मेरे ऊपर कुल 6 एफ.आई.आर. दर्ज है (किसी भी प्रकरण में पुलिस द्वारा चालान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण अभी तक विवेचनाधीन है।) जिनकी जानकारी निम्नानुसार है:-

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं	1. थाना कोतवाली विदिशा, अपराध क्रं. 0386/2021	2. थाना कोतवाली विदिशा, अपराध क्रं. 399/2020	3. थाना कोतवाली विदिशा, अपराध क्रं. 0400/2023	4. थाना कोतवाली विदिशा, अपराध क्रं. 0402/2020	5. थाना कोतवाली विदिशा, अपराध क्रं. 0459/2020	6. थाना कोतवाली विदिशा, अपराध क्रं. 0350/2021
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	उक्त प्रकरणों की जानकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा हमें प्रदान की गई जिसकी प्रति संलग्न है श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी में मामला न्यायालय में नहीं है।					
(ग)	अंतर्विलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें., अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	1. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005-51, भा.द.सं 1860-188, भा द सं 1860-269 भा द सं 1860-270, भा द सं 1860-34	2. भा द सं 1860-294, भा द सं 1860-354(क)(1)(iv), भा द सं 1860-504	3. भा द सं 1860-294	4. भा द सं 1860-269, भा द सं 1860-270	5. भा द सं 1860-188	6. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005-54, भा.द. सं 1860-188, भा द सं 1860-505(1)(b)

शशांक भार्गव

(घ)	अपराध का संक्षिप्त	एफ.आई. आर. अनुसार कोविड के दौरान जीवन संकट उत्पन्न हो सकता था इसके लिए रिपोर्ट दर्ज हुई	एफ.आई. आर. अनुसार महिला मंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा के उपयोग के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई गई	एफ.आई. आर. अनुसार गाली गलौच के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई गई	एफ.आई. आर. अनुसार बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई	एफ.आई. आर. अनुसार बिना अनुमति राजनैतिक धरना आयोजन पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।	एफ.आई. आर. अनुसार भ्रामक दुष्प्रचार करने के आरोप लगाये गये।
(ड)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं
(च)	यदि उपर्युक्त मद (ड) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दे, जिसको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	उक्त प्रकरणों की जानकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा हमें प्रदान की गई जिसकी प्रति संलग्न है श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी में मामला न्यायालय में नहीं है।					

4. यह कि उपरोक्त बिन्दुओं में से किसी बिन्दु पर कोई विसंगति पायी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर

२१.११.२०२०

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र में दी गई संपूर्ण जानकारी मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सब सही व सत्य हैं अतः यह सत्यापन आज व मुकाम विदिशा में सत्यापित किया गया।

इति दिनांक:- 23/10/20

हस्ताक्षर

स्थान विदिशा

२१.११.२०२०

गोपनीय,

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-विदिशा (गध्य प्रदेश)
क्रमांक/पुअ /विदिशा/जिविशा/ 922-A /2023 दिनांक- 10/10/2023
प्रति,

श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव
विधायक विदिशा विधानसभा क्षेत्र क्र0 144

विषय - दर्ज अपराधों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- पत्र क्र0/495/2023-24 दिनांक 03.10.23

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें
जिसके माध्यम से आपके द्वारा स्वयं पर दर्ज अपराधों की जानकारी घाही गई है जो संलग्न
प्रोफार्मानुसार सादर प्रेषित है।

पुलिस अधीक्षक
जिला विदिशा

स.क्र.	ज़िला	थाना	अपराध क्र.	धारा	आरोपी का नाम	पिता का नाम	उम्र	लिंग	पता
1	विदिशा	कोतवाली विदिशा	0386/2021	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005-51, भा द सं 1860-188, भा द सं 1860-269, भा द सं 1860-270, भा द सं 1860-34	शशांक भागव		0	पुरुष	विधायक विदिशा विदिशा मध्य प्रदेश
2	विदिशा	कोतवाली विदिशा	0399/2020	भा द सं 1860-294, भा द सं 1860-354(क)(1)(iv), भा द सं 1860-504	विधायक श्री शशांक भागव	श्री कृष्ण भागव	63	पुरुष	वार्ड नंबर 33 सिविल लाईन विदिशा विदिशा मध्य प्रदेश
3	विदिशा	कोतवाली विदिशा	0400/2023	भा द सं 1860-294	शशांक भागव		0	पुरुष	दुर्गानगर चौराहे के पास विदिशा विदिशा मध्य प्रदेश
4	विदिशा	कोतवाली विदिशा	0402/2020	भा द सं 1860-269, भा द सं 1860-270	शशांक भागव	श्रीकृष्ण भागव	63	पुरुष	वार्ड नंबर 33 सिविल लाईन विदिशा विदिशा मध्य प्रदेश
5	विदिशा	कोतवाली विदिशा	0459/2020	भा द सं 1860-188	शशांक भागव विधायक		0	पुरुष	विदिशा विदिशा मध्य प्रदेश
6	विदिशा	सिविल लाईन	0350/2021	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005-54, भा द सं 1860-188, भा द सं 1860-505(1)(b)	श्री शशांक भागव		0	पुरुष	दुर्गानगर चौराहे के पास विधायक निवास विदिशा विदिशा मध्य प्रदेश

श्रीकृष्ण भार्गव

विधायक

विदिशा विधानसभा क्षेत्र क्र-144



निवास : इन्द्रा भार्गव भवन

सिविल लाइन, विदिशा (म.प्र.)

मोबाइल : 9425148945

फोन : 07592-250103

Email : shashankcongress@gmail.com

पत्र क्रमांक : 495/2023-24

प्रति.

दिनांक : 03/10/2023

पुलिस अधीक्षक,
जिला विदिशा

विषय- मेरे के विरुद्ध दर्ज अपराध की जानकारी उपलब्ध कराए जाने बावत ।

-0-

विषयान्तर्गत प्रकरण मेरे के विरुद्ध यदि जिला अन्तर्गत या मध्यप्रदेश के किसी भी थाने में, किसी भी प्रकार का अपराध दर्ज हुआ हो तो, उसकी जानकारी सूचीबद्ध करते हुए मुझे उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

शशांक भार्गव

(शशांक श्रीकृष्ण भार्गव)

S.P. OFFICE VIDISHA

S.No.

DT.

Sec

HC

Add.

1940/3